


न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 36/2022 बउनवानी दिलीप कुमार शर्मा बनाम लो.सू.अधि.एवं अति जिला कलेक्टर,स0मा0 निवासी नर्सिंग कॉलोनी, गंगापुर सिटी

GCMS No-2022/66

On line NO- 321340607747806

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
28.4.2022	<p>पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्त नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्त द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 11.3.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:-</p> <p>1. दिनांक 11.3.2022 को अमित कुमार अग्रवाल, हनुमान जैन ओर अन्य द्वारा रिब्यू डीपीसी के संबंध में श्रीमान जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को दिये गये प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति, इस पत्र पर की गयी कार्यवाही विवरण यथा नोट शीट, जारी किये गये लेटर या अन्य की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायी जावे।</p> <p>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्त को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।</p> <p>नियत पेशी पर अपीलान्त उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ.20/सूकाअ/2022/86 दिनांक 20.4.2022 से अवगत कराया कि प्रभारी अधि० संस्थापन अनुभाग के पत्रांक/प.5(16)1/विविध/सूकाअ/स्था/2020/1524 दिनांक 5.4.2022 से अपीलान्त को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है कि वांछित सूचना व्यक्तिगत एवं तृतीय पक्ष की होने के कारण अधिनियम की धारा 8 के नियम 112 के तहत सूचना देने के लिए बाध्य नही होने के कारण अपीलान्त को सूचना नही दी गयी है। इस प्रकार वांछित सूचना के संबंध में अपीलान्त को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्त खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।</p> <p>पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 11.3.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1की सूचना को व्यक्तिगत मानते हुए अपीलान्त को सूचना नही दी गयी है। किन्तु अधिनियम की धारा 8 (झ) के तहत केवल ऐसी सूचना जिससे किसी व्यक्ति की एकांतता मे अनपेक्षित हस्तक्षेप होता है दिये जाने पर छूट प्रदान की गयी है। उक्त सूचना मे किसी व्यक्ति की एकांतता पर हस्तक्षेप नही हो रहा है। अतः लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना अपीलान्त को 7 दिवस मे उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्त का निष्कर्ष किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।</p>


 (सुरेश कुमार ओला)
 जिला कलेक्टर
 सवाई माधोपुर